।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 1135 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त 28 /2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत फारकोट से डुडवागाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1567 / 36सी0 दिनांक 22.08.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग कर्णप्रयाग ग्वालदम अल्मोड़ा मोटर मार्ग से नलगांव से प्रारम्भ होकर नलगांव भटियाणा मोटर मार्ग के किमी0 02 से प्रारम्भ होता है व इस मोटर मार्ग की लम्बाई 4 किमी0 है यह मार्ग मोटर मार्ग ग्राम फारकोट, भैंस, वाड़ा गेट सोल्टा, डडुवागाड़ तुनेड़ा चोपता ग्रामो को जोड़ेगा, तथा उक्त मोटर मार्ग के वनने से डुडवाड़ ग्राम तक नारायणबगड़ ब्लॉक मुख्यालय से 28 किमी0 है, उक्त मोटर मार्ग के बनने से ग्रामो को ब्लांक मुख्यालय नारायणवगड़ से दूरी 15 किमी0 कम तय करनी पड़ेगी तथा ग्राम वासियो को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में अपने उपचार करने में कम दूरी तय कर समय पूर्व अपना उपचार किया जा सकेगा। इस मार्ग के वन जाने से क्षेत्र को अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभ मिलेगा। जिस हेतु उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक है के सम्वन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है ऑनलाईन प्रस्तावित समरेखण के के0एम0एल0 फाईल का अवलोकन करने पर देखा गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का संरेखण पूर्व में निर्मित चोपता डडुवाड़ मोटर मार्ग को नही जोड़ रहा है, तो उक्त मोटर मार्ग के वनने से ग्राम फारकोट, भैंस वाड़ा गेट सोल्टा, डुडवगाड़ तुनेड़ा चोपता ग्रामो को किस तहत लाभ मिलेगा। मोटर मार्ग के के0एम0एल0 फाईल में लांभान्वित गांवो भी नही दर्शाया गया है, ना ही प्रस्ताव के औचित्य प्रमाण पत्र में उपरोक्त लांभान्वित गांवो का उल्लेख है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त मोटर मार्ग का नव निर्माण अतिआवश्यक है तो उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव में के0एम0एल0 फाईल, डिजिटल मैप एवं जियोरिफरेन्स मैप, व प्रस्ताव में अतिरिक्त वन भूमि पड़ने पर संशोधित प्रस्ताव तैयार करे अन्यथा उपरोक्त के0एम0एल0 फाईल, डिजिटल मैप एवं जियोरिफरेन्स मैप व नाप भूमि पड़ने पर लैण्ड शैड्यूल, भूमि की लम्बाई एवं चौड़ाई में उक्त का उल्लेख करते प्रस्ताव का पूर्ण अवलोकन करने के उपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित करे। ताकि प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner